


22/12/25

उत्तर प्रदेश उपलब्धता इस व्यापार के आदेश दिनांक
30.08.2022 के विरुद्ध वासीगण तथा मातृ राज्य मण्डल
अप्येक में निम्नलिखित संख्या 5375/2022 प्रस्तुत की गई है।
मातृ मण्डल तथा आदेश दिनांक 20.09.2022 द्वारा इस पत्रावली
की आगामी कार्यवाही स्वगित रखी की गई। अतः मातृ मण्डल
के आदेशों की पालना में पत्रावली स्वगित रखी जाती है।
मातृ मण्डल के निर्दिष्ट उपर्युक्त प्रस्ताव प्रस्तुत हों या पत्रावली
पुनः पेशी में ली जाये। तब तब नम्बर से एक टोकरा जारी
कराया है।

आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
सुरतगढ़ (राज.)

GCMS
2015/00261

